




हिंदी

# बालभारती

आठवीं कक्षा



# भारत का संविधान

भाग 4 क


## मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया। दि. २९.१२.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में यह पाठ्यपुस्तक निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई।



मेरा नाम \_\_\_\_\_ है।



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे



HDDRWD

आपके स्मार्टफोन में 'DIKSHA App' द्वारा, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Q.R.Code के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित Q.R.Code में अध्ययन-अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रथमावृत्ति : २०१८

तीसरा पुनर्मुद्रण : २०२१

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११००४

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

### हिंदी भाषा समिति

डॉ. हेमचंद्र वैद्य - अध्यक्ष  
डॉ. छाया पाटील - सदस्य  
प्रा. मैनोद्दीन मुल्ला - सदस्य  
डॉ. दयानंद तिवारी - सदस्य  
श्री रामहित यादव - सदस्य  
श्री संतोष धोत्रे - सदस्य  
डॉ. सुनिल कुलकर्णी - सदस्य  
श्रीमती सीमा कांबळे - सदस्य  
डॉ. अलका पोतदार - सदस्य - सचिव

### प्रकाशक :

श्री विवेक उत्तम गोसावी  
नियंत्रक  
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ  
प्रभादेवी, मुंबई-२५

### हिंदी भाषा अभ्यासगट

श्री संजय भारद्वाज  
डॉ. वर्षा पुनवटकर  
सौ. वृंदा कुलकर्णी  
सौ. रंजना पिंगळे  
डॉ. प्रमोद शुक्ल  
श्रीमती पूर्णिमा पांडेय  
डॉ. शुभदा मोघे  
श्री धन्यकुमार बिराजदार  
श्रीमती माया कोथळीकर  
श्रीमती शारदा बियानी  
डॉ. रत्ना चौधरी  
श्री सुमंत दळवी  
श्रीमती रजनी म्हैसाळकर

डॉ. आशा वी. मिश्रा  
श्रीमती मीना एस. अग्रवाल  
श्रीमती भारती श्रीवास्तव  
डॉ. शैला ललवाणी  
डॉ. शोभा बेलखोडे  
डॉ. बंडोपंत पाटील  
श्री रामदास काटे  
श्री सुधाकर गावंडे  
श्रीमती गीता जोशी  
श्रीमती अर्चना भुस्कुटे  
डॉ. रीता सिंह  
सौ. शशिकला सरगर  
श्री एन. आर. जेवे  
श्रीमती निशा बाहेकर

### निमंत्रित सदस्य

श्री ता. का सूर्यवंशी  
श्रीमती मंजुला त्रिपाठी मिश्रा

### संयोजन :

डॉ. अलका पोतदार, विशेषाधिकारी हिंदी भाषा, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे  
सौ. संध्या विनय उपासनी, विषय सहायक हिंदी भाषा, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

**मुखपृष्ठ :** श्री विवेकानंद पाटील

**चित्रांकन :** मयूरा डफळ, श्री राजेश लवळेकर

### निर्मिति :

श्री सच्चितानंद आफळे, मुख्य निर्मिति अधिकारी  
श्री सचिन मेहता, निर्मिति अधिकारी  
श्री नितीन वाणी, सहायक निर्मिति अधिकारी

**अक्षरांकन :** भाषा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे  
**कागज :** ७० जीएसएम, कवीमवोव  
**मुद्रत्पादेश :** N/PB/2021-22/2,000  
**मुद्रत्क :** M/S. RENUKA BINDERS, PUNE

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख  
26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो  
हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,  
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

## राष्ट्रगीत

जनगणमन - अधिनायक जय हे  
भारत - भाग्यविधाता ।  
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,  
द्राविड, उत्कल, बंग,  
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,  
उच्छल जलधितरंग,  
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,  
गाहे तव जयगाथा,  
जनगण मंगलदायक जय हे,  
भारत - भाग्यविधाता ।  
जय हे, जय हे, जय हे,  
जय जय जय, जय हे ॥

## प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-  
बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की  
समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं  
पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन  
परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता  
मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों  
का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से  
सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने  
देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा  
रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में  
ही मेरा सुख निहित है ।

## प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियो,

तुम सब पहली से सातवीं कक्षा तक की हिंदी बालभारती पाठ्यपुस्तक से अच्छी तरह से परिचित ही हो और अब आठवीं हिंदी बालभारती पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। रंग-बिरंगी, अति आकर्षक यह पुस्तक तुम्हारे हाथों में सौपते हुए हमें अत्यंत खुशी हो रही है।

हमें ज्ञात है कि तुम्हें कविता, गीत, गजल सुनना-पढ़ना अति प्रिय है। मनोरंजक कहानियों के संसार में विचरण करना अच्छा लगता है। तुम्हारी इन भावनाओं का पाठ्यपुस्तक में सजगता से ध्यान रखा गया है। इसीलिए बालभारती की इस पुस्तक में कविता, गीत, नवगीत, गजल, पद, दोहे, नई कविता, वैविध्यपूर्ण कहानियाँ, निबंध, हास्य-व्यंग्य एकांकी, संस्मरण, यात्रावर्णन, साक्षात्कार, आलेख, भाषण आदि साहित्यिक विधाओं का समावेश किया गया है। ये सभी विधाएँ मनोरंजक होने के साथ-साथ ज्ञानार्जन, भाषाई कौशलों-क्षमताओं के विकास, राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने एवं चरित्र निर्माण में भी सहायक होंगी। इन रचनाओं के चयन के समय आयु, रुचि, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्तर का सजगता से ध्यान रखा गया है।

अंतरजाल एवं डिजिटल दुनिया के प्रभाव, नई शैक्षिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समक्ष रखकर 'श्रवणीय', 'संभाषणीय' 'पठनीय', 'लेखनीय', 'मैंने समझा', 'कृतियाँ पूर्ण करो', 'भाषा बिंदु' आदि के माध्यम से पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। तुम्हारी कल्पनाशक्ति, सृजनशीलता को ध्यान में रखते हुए 'स्वयं अध्ययन', 'उपयोजित लेखन', 'मौलिक सृजन', 'कल्पना पल्लवन' आदि कृतियों को अधिक व्यापक एवं रोचक बनाया गया है। इनका सतत प्रयोग-उपयोग एवं अभ्यास अपेक्षित है। मार्गदर्शक का सहयोग लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग को सहज और सुगम बना देता है। अतः अध्ययन अनुभव की पूर्ति हेतु अभिभावकों, शिक्षकों का सहयोग और मार्गदर्शन तुम्हारे लिए निश्चित ही सहायक सिद्ध होंगे। तुम्हारी हिंदी भाषा और ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए 'ऐप' एवं 'क्यू.आर.कोड,' के माध्यम से अतिरिक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अध्ययन अनुभव हेतु इनका निश्चित ही उपयोग हो सकेगा।

आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि तुम सब पाठ्यपुस्तक का समुचित उपयोग करते हुए हिंदी विषय के प्रति विशेष रुचि दिखाते हुए आत्मीयता के साथ इसका स्वागत करोगे।

(डॉ. सुनिल मगर)

संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व  
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे-०४

पुणे

दिनांक : १८ अप्रैल २०१८, अक्षयतृतीया

भारतीय सौर : २९ चैत्र १९४०

## शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक बातें .....

अध्ययन अनुभव प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं, दिशा निर्देशों को भली-भाँति आत्मसात कर लें। भाषाई कौशल के विकास के लिए पाठ्यवस्तु 'श्रवणीय', 'संभाषणीय', 'पठनीय', एवं 'लेखनीय' में दी गई है। पाठों पर आधारित कृतियाँ 'सूचना के अनुसार कृतियाँ करो' में आई हैं। पद्य में 'कल्पना पल्लवन', गद्य में 'मौलिक सृजन' के अतिरिक्त 'स्वयं अध्ययन' एवं 'उपयोजित लेखन' विद्यार्थियों के भाव/विचार विश्व, कल्पना लोक एवं रचनात्मकता के विकास तथा स्वयंस्फूर्त लेखन हेतु दिए गए हैं। 'मैंने समझा' में विद्यार्थी ने पाठ पढ़ने के बाद क्या आकलन किया है, इसे लिखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है।

'भाषा बिंदु' व्याकरणिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी कृतियों का सतत अभ्यास कराना अपेक्षित है। व्याकरण पारंपरिक रूप से नहीं पढ़ाना है। सीधे परिभाषा न बताकर कृतियों और उदाहरणों द्वारा पाठ्यवस्तु की संकल्पना तक विद्यार्थियों को पहुँचाने का उत्तरदायित्व आपके सबल कंधों पर है। 'पूरक पठन' सामग्री कहीं न कहीं पाठ को ही पोषित करते हुए विद्यार्थियों की रुचि एवं पठन संस्कृति को बढ़ावा देती है। अतः पूरक पठन का वाचन आवश्यक रूप से करवाएँ।

आवश्यकतानुसार पाठ्येतर कृतियों, भाषिक खेलों, संदर्भों, प्रसंगों का समावेश भी अपेक्षित है। पाठों के माध्यम से नैतिक, सामाजिक, संवैधानिक मूल्यों, जीवन कौशलों, केंद्रीय तत्त्वों के विकास के अवसर भी विद्यार्थियों को प्रदान करें। क्षमता विधान एवं पाठ्यपुस्तक में अंतर्निहित सभी क्षमताओं/कौशलों, संदर्भों एवं स्वाध्यायों का सतत मूल्यमापन अपेक्षित है।

पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस पुस्तक का सहर्ष स्वागत करेंगे।

## हिंदी अध्ययन निष्पत्ति आठवीं कक्षा

यह अपेक्षा है कि आठवीं कक्षा के अंत तक विद्यार्थियों में भाषा विषयक निम्नलिखित अध्ययन निष्पत्ति विकसित हों।

### विद्यार्थी –

- 08.02.01 विविध विषयों पर आधारित विविध प्रकार की रचनाओं का, पाठ्यसामग्री और साहित्य की दृष्टि से विचार पढ़कर चर्चा करते हुए दृढ़ वाचन करते हैं तथा आशय को समझते हुए स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन तथा केंद्रीय भाव को लिखते हैं।
- 08.02.02 हिंदी भाषा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को पढ़कर तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं, सर्वेक्षण, टिप्पणी आदि को प्रस्तुत कर उपलब्ध जानकारी/विवरण का ज्यों का त्यों उपयोग न करते हुए उसका योग्य संकलन, संपादन करते हुए लेखन करते हैं।
- 08.02.03 पढ़ी गई सामग्री पर चिंतन करते हुए समझ के लिए तथा किसी नये विचार, कल्पना का आकलन करने के लिए सावधानी से वाचन करते हुए समानता, असमानता को समझकर एवं विविध स्रोतों, माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन करने के लिए प्रश्न पूछते हैं।
- 08.02.04 अपने परिवेश में मौजूद लोककथाओं और लोकगीतों के बारे में सजगता से सुनते हैं, सुनाते हैं तथा उनकी बारीकियों को समझते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ मुखर-मौन वाचन करते हैं।
- 08.02.05 पढ़कर अपरिचित परिस्थितियों और घटनाओं की कल्पना करते हुए गुट चर्चा में सहभागी होकर उसमें आए विशेष उद्धरणों, वाक्यों का अपने बोलचाल तथा संभाषण में प्रयोग करते हैं तथा परिचर्चा-भाषण आदि में अपने विचारों को मौखिक/लिखित रूप में व्यक्त करते हैं।
- 08.02.06 विविध संवेदनशील मुद्दों / विषयों जैसे- जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति-रिवाजों के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न करते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धाराप्रवाह संवाद स्थापित कर लेखन करते हैं।
- 08.02.07 किसी सुनी हुई कहानी, विचार, तर्क, घटना आदि के भावी प्रसंगों का अर्थ समझकर अनुमान लगाते हैं, विशेष बिंदुओं को खोजकर उसका संकलन करते हैं।
- 08.02.08 पढ़ी गई सामग्री पर चिंतन करते हुए बेहतर समझ के लिए प्रश्न पूछते हैं तथा किसी परिचित/अपरिचित के साक्षात्कार हेतु प्रश्न निर्मित करते हैं तथा किसी अनुच्छेद का अनुवाद एवं लिप्यंतरण करते हैं।
- 08.02.09 विभिन्न पठन सामग्रियों में प्रयुक्त उपयोगी/आलंकारिक शब्द, महान विभूतियों के कथन, मुहावरों/लोकोक्तियों-कहावतों, परिभाषाओं, सूत्रों आदि को समझते हुए सूची बनाते हैं तथा विविध तकनीकों का प्रयोग करके अपने लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं।
- 08.02.10 किसी पाठ्यवस्तु को पढ़ने के दौरान समझने के लिए अपने किसी सहपाठी या शिक्षक की मदद लेकर आलेख, अन्य संदर्भ साहित्य का द्विभाषिक शब्द संग्रह, ग्राफिक्स, वर्डआर्ट, पिक्टोग्राफ आदि की सहायता से शब्दकोश तैयार करते हैं और प्रसार माध्यमों में प्रकाशित जानकारी की आलंकारिक शब्दावली का प्रभावपूर्ण तथा सहज वाचन करते हैं।
- 08.02.11 अपने पाठक के विचार और लेखन के, लिखित सामग्री के उद्देश्य का आलोकन कर और अन्य दृष्टिकोण के मुद्दों को समझकर उसे प्रभावी तरीके से लिखते हैं।
- 08.02.12 सुने हुए कार्यक्रम के तथ्यों, मुख्य बिंदुओं, विवरणों एवं पठनीय सामग्री में वर्णित आशय के वाक्यों एवं मुद्दों का तार्किक एवं सुसंगति से पुनःस्मरण कर वाचन करते हैं तथा उनपर अपने मन में बनने वाली छबियों और विचारों के बारे में लिखित या ब्रेल लिपि में अभिव्यक्ति करते हैं।
- 08.02.13 भाषा की बारीकियों/व्यवस्था का वर्णन, उचित विराम, बलाघात, तान-अनुतान के साथ शुद्ध उच्चारण आरोह-अवरोह, को एकाग्रता से सुनते एवं सुनाते हैं तथा पठन सामग्री में अंतर्निहित आशय, केंद्रित भाव अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं।
- 08.02.14 विभिन्न अवसरों/संदर्भों में कही जा रही दूसरों की बातों को, सुने हुए संवाद, वक्तव्य, भाषण के प्रमुख मुद्दों को पुनः प्रस्तुत करते हैं तथा उनका उचित प्रारूप में वृत्तांत लेखन करते हैं।
- 08.02.15 रूपरेखा तथा शब्द संकेतों के आधार पर आलंकारिक लेखन तथा पोस्टर-विज्ञापन में विविध तरीकों और शैलियों का प्रयोग करते हैं।
- 08.02.16 दैनिक जीवन से अलग किसी घटना/स्थिति पर विभिन्न तरीके से सृजनात्मक ढंग से लिखते हैं तथा प्रसार माध्यम से राष्ट्रीय प्रसंग/घटना संबंधी वर्णन सुनते और सुनाते हैं एवं भाषा की भिन्नता का समादर करते हैं।

## \* अनुक्रमणिका \*

### पहली इकाई

क्र.	पाठ का नाम	विधा	रचनाकार	पृष्ठ
१.	डुबा दो अहंकार	गीत	रवींद्रनाथ टैगोर	१-२
२.	गीत	कहानी	सलाम बिन रजाक	३-९
३.	सेल्फी का शौक	वैचारिक निबंध	अनिल कुमार जैन	१०-१४
४.	क्या करेगा तू बता	कविता	डॉ. सुधाकर मिश्रा	१५-१६
५.	मन का रोगी	एकांकी	राम निरंजन शर्मा 'ठिमाऊ'	१७-२४
६.	दारागंज के वे दिन	संस्मरण	पुष्पा भारती	२५-२८
७.	धूप की उष्मित छुवन से	गजल	रामदरश मिश्र	२९-३०
८.	नरई	यात्रा वर्णन	डॉ. श्रीकांत उपाध्याय	३१-३४
९.	रज्जब चाचा	कहानी	व्यथित हृदय	३५-३९
१०.	बातें प्रेमचंद की	चरित्रात्मक वार्तालाप	अवधनारायण मुद्गल	४०-४६
११.	मयूर पंख	पद	जगन्नाथदास रत्नाकर	४७-४८

### दूसरी इकाई

क्र.	पाठ का नाम	विधा	रचनाकार	पृष्ठ
१.	इनसान	नवगीत	रमानाथ अवस्थी	४९-५०
२.	चप्पल	मनोवैज्ञानिक कहानी	कमलेश्वर	५१-५७
३.	मान न मान; मैं तेरा मेहमान	हास्य-व्यंग्य निबंध	संजीव निगम	५८-६२
४.	प्रभात	नई कविता	भारतभूषण अग्रवाल	६३-६५
५.	हारना भी हिम्मत का काम है	आलेख	शरबानी बैनर्जी	६६-६९
६.	बंटी	उपन्यास का अंश	मन्नू भंडारी	७०-७४
७.	अनमोल वचन	साखी	दादू दयाल	७५-७६
८.	साहित्य की सच्चाई	भाषण	जैनेंद्र कुमार	७७-८२
९.	शब्दकोश	बातचीत	डॉ. सरोज प्रकाश	८३-८७
१०.	मेरे जेबकतरे के नाम	पत्र	हरिशंकर परसाई	८८-९२
११.	परिवर्तन	गीतिनाट्य का अंश	दुष्यंत कुमार	९३-९६
	व्याकरण एवं रचना विभाग तथा भावार्थ			९७-१०४